

।कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर।

नगर परिषद सीकर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत 4.20 है० वन भूमि के अनारक्षण के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Others/14079/2015 में जिला /वनमण्डल सीकर में बीड देवीपुरा में स्टेडियम से इन्ड्रसटियल एरिया तक सम्पर्क सडक निर्माण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के पार्ट ।। में निम्न कमियां पायी गई

1. प्रस्ताव में संलग्न KML file polyline shape में है जबकि MoEF & CC Lucknow को DSS Analysis हेतु KML file polygon shape में दिया जाना प्रस्तावित है।
2. पार्ट ।। के बिन्दु संख्या 3 में उप वन संरक्षक द्वारा जिलेवार अनारक्षित होने वाला क्षेत्र में दो प्रविष्टि की गई है जबकि इसमें मात्र 4.20 है० ही लिखा जाना प्रस्तावित है।
3. पार्ट । में प्रस्तावित वन भूमि का ग्रामवार विवरण नहीं दिया गया है।

प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोंपरांत उपरोक्त बिन्दुओ पर प्रयोक्ता [अभिकरण/मुख्य वन संरक्षक](#) /उप वन संरक्षक को सूचना ऑनलाइन भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता है।